...ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...रण सख्या : 109/2015

1. शम्भूदयाल पुत्र देवीशंकर
2. श्रामदुलारी पत्नि महावीर
3. निर्मला बाई पत्नि रामनारायण
4. विधा बाई पत्नि मेघराज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नन्द किशोर पुत्र जमनालाल
2. मोहनलाल पुत्र जमनालाल
3. कस्तूरचंद पुत्र जमनालाल
4. खेमराज पुत्र जमनालाल
5. रूकमणी पुत्री जमनालाल
6. कला बेवा जमनालाल
7. संजय पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. धनराज पुत्र लक्ष्मीनारायण
9. सुनीता पुत्री लक्ष्मीनारायण
10. मन्जू पुत्री लक्ष्मीनारायण
11. बृजेश पुत्री लक्ष्मीनारायण
12. कन्या बेवा लक्ष्मीनारायण

} जाति रेगर निवासीगण मांगरोल जिला बारां राजस्थान

13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री भंवर सिंह गौड, श्री लवकुल गौड

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खाते की आराजी खाता ...ा 997 नया 941 खसरा नं0 4391 रकबा 3.37 है0, खसरा नं0 4393 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 4394 ...कबा 0.32 है0, खसरा नं0 4395 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 4570 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 4.54 है0 वाके माल मांगरोल में स्थित है। प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी वादीगण के खेत के पास स्थित है। प्रतिवादीगण का खेत वादीगण के खेत से करीबन 2–3 फिट उंचाई पर स्थित है, प्रतिवादीगण वादीगण के खेत की मेंढ तोर कर अपने खेत की मेंढ को वादीगण के खेत में कायम करने पर आमादा है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि सादर डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी की खाता आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 997 नया 941 खसरा नं0 4391 रकबा 3.37 है0, खसरा नं0 4393 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 4394 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 4395 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 4570 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 4.54 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 2.07.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 9 ता 11 की ओर से आदिनांक तक अनुपस्थित बावजूद सूचना प्रतिवादी कम 9 ता 11 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी कम 9 ता 11 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण कम 1 से 8 व 12 की ओर से वकील श्री मनोज कुमार गालव ने दिनांक 05.03.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी मांगरोल सम्वत 2065–2068 पेश किये गये जो शामिल फायल है।।

हमने पत्रावली में संलग्न प्रदर्शो, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी कम 1 से 8 व 12 की अन्तिम बहस दिनांक 26.04.2018 सुनी गयी। बहस में वकील वादीगण ने उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसे वकील वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। वकील प्रतिवादी कम 1 से 8 व 12 श्री मनोज कुमार गालव, वादी द्वारा किये गये कथन से पूर्ण सहमत है। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी कम 1 से 8 व 12 वादीगण की खाते की आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 997 नया 941 खसरा नं0 4391 रकबा 3.37 है0, खसरा नं0 4393 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 4394 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 4395 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 4570 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 4.54 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करते है व अपने खाते की आराजी पर काबिज होकर शांतीपूर्वक काश्त कर रहे है। सुनी गयी अन्तिम बहस से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 12 अपनी अपनी आराजी पर

होकर काश्त कर रहे है एवं दोनो परस्पर एक दूसरे की आराजी में हस्तक्षेप नही करते है। अतः वादीगण कम 1 ता 12 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण के खाते की आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 997 नया 941 खसरा नं0 4391 रकबा 3.37 है0, खसरा नं0 4393 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 4394 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 4395 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 4570 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 4.54 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि पटवारी पटवार हल्का मांगरोल को निर्देशित कर वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 12 की खाते की आराजी का सीमाज्ञान वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 12 को मौके पर करवाया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फैशल शुमार हो निर्णय से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :